



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food and Supplies
खाद्य एवं पूर्ति निदेशालय

सेवा में

सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक,
(हरियाणा राज्य में)

यादि क्रमांक एफ0जी-5-2015/13551
दिनांक, चण्डीगढ़ 03.04.2015

विषय: सी0एम0 विडों से प्राप्त शिकायतों के निपटान बारे।

उपरोक्त विषय पर मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक 13.03.2015 (प्रति सलंगन) के संदर्भ में।

जैसा कि आपको विदित है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा शिकायतें दायर करने तथा उनके निपटान हेतु CM Window खोली गई है। इन शिकायतों को प्रतिदिन माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय तथा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा review किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही है जोकि आपको जांच हेतु भेजी जा रही है। इस सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि :-


1. मुख्यालय के ध्यान में आया है कि डिपूधारकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतकों की जांच सम्बन्धित निरीक्षक/उप-निरीक्षक जिन्हें वह डिपू निगरानी हेतु अलाट होता है, से करवा दी जाती है। इन शिकायतों की बिन्दुवार गहनता से जांच जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी/ सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी स्तर पर निर्धारित समयावधि में करवाई जाए। निरीक्षक/उप-निरीक्षक से करवाई गई जांच को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. जांच करते समय शिकायतकर्ता को भी जांच में अवश्य शामिल किया जाए।
3. जांच रिपोर्ट भेजते समय यह स्पष्ट किया जाए कि शिकायतकर्ता जांच से संतुष्ट है या नहीं तथा शिकायतकर्ता को जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक द्वारा अवश्य सुना जाए।
4. जांच रिपोर्ट निर्धारित अवधि में भेजी जाए तथा जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक अपनी टिप्पणी आवश्यक अंकित करें।
5. जिस भी शिकायत पर Clarification मांगी जाती है, वह जल्द से जल्द CM Window पर ही अपलोड की जाए।
6. शिकायत का पूर्ण समाधान करने पर ही उसे समयावधि में CM Window पर upload करना सुनिश्चित करें।
7. कार्यवाही रिपोर्ट CM Window पर अपलोड की जाए, इस बारे अनावश्यक पत्राचार ना किया जाए।
8. जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक कार्यालय में शिकायत के निपटान सम्बन्धी पूर्ण रिकार्ड रखा जाए तथा इस कार्य हेतु अलग से कर्मचारी नियुक्त करें।



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food and Supplies
खाद्य एवं पूर्ति निदेशालय

9. ऐसे केस जिनमें जांच उपरान्त डिपूधारक की सप्लाई निलंबित व उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, कि final disposal नियमानुसार शीघ्र की जाए।
10. Overdue cases के लिए जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
11. CM Window पर जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक अपनी Profile अवश्य अपडेट करें।
12. जांच रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी के लिए जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

उपरोक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाए।


उप निदेशक (पी0डी0एस)

कृते: महानिदेशक खाद्य एवं पूर्ति विभाग
हरियाणा

~~PS/F&S~~

529

O/o ACSFS
No. 914.....
Date 17.03.15

No. CMGRC/5GC/2015
CHIEF MINISTER OFFICE, HARYANA
GRIEVANCES REDRESSAL CELL

Chandigarh: Dated 13th March, 2015

Already Recd

To

1. All the Administrative Secretaries to Government Haryana.
2. All Head of Departments in the State.
3. All Deputy Commissioners in the State.

16-02-15
ACSFS


Subject:- Action Taken Reports regarding CM Window.

PS/DGFS
Receipt No. 1282
Date 18/03/2015
DD-PDS

Sir/Madam,

I am directed to refer to the subject mentioned above and to say that it has come to notice that in many cases Action Taken Reports are being forwarded by the subordinate organizations and on verification from the citizens/complainants it was found that at the time of redressal of the grievance, the complainant was not given any personal hearing. It is pertinent to remind here that Hon'ble Chief Minister and the Worthy Chief Secretary during their video conferences have reiterated many times that either the grievance should be addressed by doing the work demanded by the complainant in complaint and in the scenario of the non-practability of the redressal of the demand/grievance the citizen be directed to bring along two respectable persons of his choice and counselling of the complainant be done regarding the non-possibility/practability of his grievance being redressed. But it has come to notice these directions have not been complied with properly in many cases, such Action Taken Reports are being sent back to the concerned departments. It is requested to ensure strict compliance of the directions made by Hon'ble Chief Minister and the Worthy Chief Secretary in this regard and no Action Taken Report be sent to this office without following the above mentioned guidelines. It may also ensured that the reply/reports be sent online on CM's Grievance Redressal System.

Yours faithfully,


(Pawan Sharma)

Under Secretary to Govt. Haryana
Chief Minister's Grievance, Redressal Cell

13/03/15

DLF

Secy.
18/3/15

DS (PDS)
Put up ready

18/3

FGS